राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(2)( )प्रवेश/रा.छा./सान्याअवि/2020/ 28492 जयपुर,दिनांक 18/5/2020

आदेश

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग संचालित राजकीय छात्रावासो, अनुदानित छात्रावासो एवं आवासीय विधालयो में वर्ष 2020–21 हेतु ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 20.05.2020 से प्रारम्भ की जा रही है, ऑन लाईन प्रवेश की प्रक्रिया,पात्रता, प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज तथा अन्य दिशा निर्देश निम्नानुसार होगेः–

1. आवेदन प्रक्रियाः–

I. विभागीय छात्रावासों में नवीन प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र **sso.rajasthan.gov.in** एवं **http://SJMS.rajasthan.gov.in** पर आमंत्रित किये जायेगें।

II. एक विद्यार्थी अधिकतम तीन छात्रावासों/आवासीय विद्यालयों के लिये ऑनलाईन आवेदन कर सकेगा।

3.प्रवेश हेतु पात्रताः–

I. राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है।

II. आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में प्रवेश के लिये कक्षा 6 से 12 में अध्ययनरत् छात्र–छात्रा एवं महाविधालय स्तरीय छात्रावासो में स्नात्तक एवं स्नात्तकोत्तर पाठयक्रमो में अध्ययनरत विधार्थियो को प्रवेश देय होगा ।

III. छात्र–छात्रा का चरित्र प्रमाण–पत्र विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है।

IV. छात्रावास प्रवेश हेतु प्रथम वरियता संबंधित वर्ग के बी.पी.एल. परिवार के छात्र–छात्रा को दी जायेगी।

V. छात्र–छात्रा के परिवार की वार्षिक आय 8.00 लाख रूपये से अधिक नही हो।

4.प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज–ई.मेल आईडी, मोबाईल नम्बर, आधार नम्बर/यू.आई.डी. अथवा आधार ई.आई.डी. रसीद, जन आधार नम्बर , मूल निवास प्रमाण–पत्र, गत वर्ष की अंक तालिका, जाति प्रमाण–पत्र, बीपीएल प्रमाण–पत्र (केवल बीपीएल के लिये), निःशक्तता प्रमाण–पत्र (केवल विशेष योग्यजन के लिये), आय प्रमाण–पत्र (गैर बीपीएल हेतु), माता और पिता का मृत्यु प्रमाण–पत्र (केवल अनाथ बालक/बालिका के लिये), पिता का मृत्यु प्रमाण–पत्र (केवल विधवा के बालक/बालिका के लिये), पति का मृत्यु प्रमाण–पत्र (विधवा आवेदकों के लिये),राजस्थान के निष्क्रमणीय पशुपालक होने का प्रमाण–पत्र (केवल निष्क्रमणीय पशुपालकों के आवासीय विद्यालय के लिये) एवं राज्य के भिक्षावृति एवं अवांछित वृतियों में लिप्त परिवार होने का प्रमाण–पत्र (केवल भिक्षावृति व अवांछित वृतियों में लिप्त परिवारों के आवासीय विद्यालय के लिये)।

- उक्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन प्रति संलग्न करनी होगी।
- स्कैन्ड फाईल आवश्यक दस्तावेज सहित ऑन लाईन करनी होगी।
- फाईल का आकार 200 के.बी. से कम होना चाहिये।
- पूर्व में प्रवेशित उत्तीर्ण विद्यार्थियों को गत परीक्षा की अंकतालिका sso.rajasthan.gov.in पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। ऐसे विद्यार्थियों को वर्ष 2020–21 के लिये पुनः पृथक से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- छात्रावासों में शत् प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी करवायेगे तथा छात्रावासों में छात्र–छात्राओं के प्रवेश हेतु विद्यालयों के प्रधानाध्यपकों व महाविद्यालयों के प्राचार्यो से भी सम्पर्क स्थापित कर प्रवेश हेतु कार्यवाही करेगें।

5.प्रवेश हेतु आवेदन करने का अन्तिम तिथिः– 18 जून, 2020 विद्यालय स्तरीय एवं 30 जून, 2020 महाविद्यालय स्तरीय छात्रावासों के लिए नियत।

6.छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु वरियता क्रमांक इस प्रकार रहेगा :–

1.पूर्व से आवासरत छात्र–छात्रा, 2.अनाथ छात्र–छात्रा, 3.विधवा/परित्यक्ता स्वयं 4.विशेष योग्यजन स्वयं, 5. विधवा/परित्यक्ता के छात्र–छात्रा,6. विशेष योग्यजन के परिवार के बच्चे, 7.बी.पी.एल. परिवार के छात्र–छात्रा, 8. 8.00 लाख रूपये वार्षिक आय सीमा वाले परिवार के बालक–बालिका।

D:\work\Hostel Admission 2019-20 new /doc

विशेष विवरण :– विभागीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु नियत वरियता अनुक्रम विभागीय आदेश क्रमांक 29426 दिनांक 07.05.2015 एवं आदेश क्रमांक 28256 दिनांक 13.05.2020 के अनुसार होगी, जिसका पूर्ण विवरण विभागीय वेबसाईट http:// sjc.rajasthan. gov.in देखा जा सकेगा।

7.शत् प्रतिशत प्रवेश हेतु जिला अधिकारी को छात्रावासों में शत् प्रतिशत प्रवेश हेतु एवं प्राचार्य आवासीय विधालय को आवासीय विधालयो मे प्रवेश हेतु निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है :–

1. आप अपने जिलें में सचांलित विभागीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु जिलें के स्थानीय विद्यालयों तथा महाविद्यालय स्तरीय छात्रावासों हेतु महाविद्यालयों के प्राचार्यो से सम्पर्क स्थापित करे।
2. छात्रावास में प्रवेश के लिये कार्यवाही कराने हेतु सम्पर्क करेगें तथा इस प्रायोजनार्थ स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करवायेगें।
3. इसके साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों/प्रशासनिक अधिकारियों/सामाजिक कार्यकर्ता से भी इस संबंध में सहयोग लेगें।

8.विभागीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश की सूचियां निम्न तिथियों के अनुसार जारी की जायेगी :–

- **प्रथम सूचीः**– दिनांक 19.06.2020 को प्रथम वरियता सूची छात्रावास अधीक्षकों द्वारा जारी की जायेगी। प्रथम वरियता सूची में आये छात्र/छात्राओं को छात्रावास में प्रवेश हेतु सात दिवस (दिनांक 26.06.2019) का समय दिया जायेगा। प्रवेश के इच्छुक छात्र/छात्रा छात्रावास में छात्रावास अधीक्षक को कोशनमनी जमा करवायेगे। अधीक्षक कोशनमनी जमा करने के पश्चात् ही छात्रावास में प्रवेश सुनिश्चित करेगें तथा कोशनमनी की राशि व रसीद नम्बर ऑनलाईन पोर्टल पर दर्ज करेगें।
- **द्वितीय सूची 27 जून, 2019**
- **तृतीय सूची 07 जुलाई, 2019**
- **चतुर्थ सूची 15 जुलाई, 2019 (केवल महाविद्यालय स्तरीय छात्रावासों में)**

18/5/20

निदेशक

क्रमांकः एफ 7(2)( ) प्रवेश/रा.छा./सान्याअवि/2020/ 28493-504

जयपुर,दिनांक 18/5/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त जिला कलक्टर,.....................।
5. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद,...................।
6. निजी सहायक ,अतिरिक्त निदेशक(छात्रवृति एवं छात्रावास)/(देवनारायण योजना/ राईस), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है, कि वे उक्त आदेश को विभाग के समस्त जिलाधिकारियें/आवासीय विद्यालयों को ई.मेल., विभागीय बेवसाईड पर संधारित किये जाने एवं पोर्टल प्रारंभ कर प्रवेश की कार्यवाही हेतु ।
8. उपनिदेशक(राईस)/सहायक निदेशक(छात्रावास),सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी/खण्ड सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,..................को भेजकर लेख है कि उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित कर छात्रावासों में शत् प्रतिशत प्रवेश कराना सुनिश्चित करें।
10. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय आवासीय विद्यालय, ... को भेजकर लेख है, कि उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित कर छात्रावासों में शत् प्रतिशत प्रवेश कराना सुनिश्चित करें।
11. आदेश पत्रावली।

18/05/2020

(अनुपम कायल)
अतिरिक्त निदेशक
(छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)

D:\work\Hostel Admission 2019-20 new /doc